रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2413] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2010/अग्रहायण 5, 1932
No. 2413] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2010/AGRAHAYANA 5, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2010

का.आ. 2847(अ).—अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 451(अ) द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अंतरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को और बढ़ाने का समय-समय पर अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 400(अ), तारीख 20 मार्च, 2007, और का.आ. 414(अ), तारीख 3 मार्च, 2008, और का.आ. 2116(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 अप्रैल, 2009 तक बढ़ा दिया था;

और कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका 408/2008 द्वारा निवेदन किया कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 को अधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निश्चित करने के लिए निदेश दें;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और निदेश दिया कि अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी।

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और न्यायालय के आदेश, अधिसूचना सं. का.आ. 2116(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं. का.आ. 543(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए 31 जनवरी, 2010 तक बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को पुन: और बढ़ाने का समय-समय पर अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 212(अ), तारीख 29 जनवरी, 2010 और का.आ. 2347(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2010 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को 30 नवम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुत करने की अवधि को 1 दिसंबर, 2010 से 1 मास की और अवधि के लिए बढ़ाने का पुन: अनुरोध किया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति करने की अवधि को 31 दिसंबर, 2010 तक के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 17/1/2007-बे.प्र.]

जी. मोहन कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2010

S.O. 2847(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007, and number S.O. 414(E), dated the 3rd March, 2008, and number S.O. 2116(E), dated the 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision upto 1st April, 2009;

And whereas, the Government of Karnataka approached the Hon'ble Supreme Court *vide* writ petition 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March, 2006;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter on 17th December, 2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under Section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, would be 1st February, 2006;

And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of its report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009;

And whereas after taking into consideration the Court order, the notification number 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government *vide* notification number S.O. 543(E), dated the 25th February, 2009, extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009 up to 31st January, 2010;

And whereas, the said Tribunal had again requested to extend the period of submission of report and decision for a further periods from time to time;

And whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 212(E), dated the 29th January, 2010 and number S.O. 2347(E), dated the 28th September, 2010 had extended the period of submission of report and decision up to 30th November, 2010;

And whereas, the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one month with effect from 1st December, 2010;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the said Tribunal up to 31st December, 2010.

[F. No. 17/1/2007-BM]

G. MOHAN KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.